


<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज  <b>शैतान सिंह बनाम लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़)</b>  सू.अ.अपील संख्या 199/2023</p>	<p>न. 28 तारीख  अहिकाम जो  इस हुक्म की  तारीख में</p>
<p>28.08.23</p>	<p>अपीलार्थी शैतान सिंह पुत्र रतन सिंह निवासी प्लॉट न. 15, गोपालवाड़ी, नियर  होटल गढ़ गोविन्द चौपासनी, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उसके द्वारा  प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.05.2023 में (1) ग्राम पंचायत हनवंत नगर के पूर्व ग्राम  विकास अधिकारी पन्नालाल धुमड़ा के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करवाने बाबत दिनांक  20.04.2023 को शैतान सिंह पुत्र रतन सिंह द्वारा उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़ का प्रस्तुत  शिकायत पर की गई कार्यवाही से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी  (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी  द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से तथ्यात्मक  रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेसपो. पक्ष (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) से  आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा  लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी, शेरगढ़) को निर्देशित किया जाता है कि  प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस के भीतर उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये  जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जावे। आदेश की प्रति संबंधित को  सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">   (हिमान्शु गुप्ता)  जिला कलक्टर जोधपुर  <b>जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)</b> </p>	<p>न. 28 तारीख  अहिकाम जो  इस हुक्म की  तारीख में</p>